विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-21/17

मेसर्स सुपर फारमेशन प्रा.लि., — आवेदक
प्लाट नं. 16 बी, 15 डी, औद्योगिक क्षेत्र,
मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.)

विरूद्ध

मुख्य अभियंता (उ.क्षे.) — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
उज्जैन (म.प्र.)

अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा.)
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
उज्जैन (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 26.07.2017 को पारित)

01 मेसर्स सुपर फारमेशन प्रा.लि., उज्जैन द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0370117 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2017 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक 19.06.2017 प्रस्तुत किया गया है।

02 विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अपील अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–21/17 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 प्रकरण में दिनांक 03.07.2017 को सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक श्री आर.सी. जैन तथा अनावेदक की ओर से श्री केतन रायपुरिया, कार्यपालन यंत्री, उज्जैन उपस्थित हुए।

04 सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा आवेदक की अपील पर लिखित प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराई गई।

05 तर्क के दौरान आवेदक द्वारा बताया गया कि उनका एक उच्चदाब कनेक्शन जिसका कि संविदा भार 110 केवीए है, उज्जैन शहर में स्थित है, जिसका कि वे प्रति माह न्यूनतम 99 केवीए एमडी का भुगतान करते हैं तथा उनके द्वारा निरंतर मासिक विद्युत देयकों का भुगतान किया जाता है।

06 आवेदक द्वारा बताया गया कि अनावेदक द्वारा उन्हें एक पूरक बिल रूपये 2,38,437/– का दिया जिसका आधार यह बताया गया कि उनके मीटर की एमआरआई करने पर दिनांक

21.10.2015 से एक फेस पर वोल्टेज दर्ज न होने के कारण मीटर द्वारा एक फेस पर विद्युत खपत एवं एमडी दर्ज नहीं की जा रही थी। इसी आधार पर उन्हें माह अक्टूबर 2015 से मई 2016 तक पूरक बिल दिया गया।

07 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.22 में दिये गये प्रावधान अनुसार मीटर एवं मीटरी इक्यूपमेंट त्रुटिग्रस्त हो जाने पर उसे 15 दिवस के अंदर बदला जाना आवश्यक है तथा ऐसे उपकरण पर कोई प्रभार देय नहीं होगा। परन्तु मेरी एमई 6 माह तक त्रुटिग्रस्त रही, जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बदला जाना चाहिए था। अतः इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।

08 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उनके बिल की तारीख 15.9.2015 से 15.10.2015 तक है जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चार्ट में बताया गया है। इसी तरह दिनांक 15.10.2015 से 15.11.2015 तक का बिल सिर्फ 21 दिन का ही है।

09 आवेदक द्वारा बताया गया कि चूंकि मीटरी इक्यूपमेंट द्वारा 2 फेस पर विद्युत खपत दर्ज हो रही थी तो 1 फेस की विद्युत खपत का बिल होना चाहिए था ना कि आधा।

10 अनावेदक द्वारा अपने पक्ष में कथन किया कि आवेदक के परिसर में स्थापित मीटरी इक्यूपमेंट का परीक्षण करने पर बी फेस पर वोल्टेज नहीं मिलने के कारण विद्युत खपत एवं एमडी उस फेस पर दर्ज नहीं की जा रही थी। यह एमई दिनांक 1.7.2016 को बदली गई।

11 अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक के मीटर की एमआरआई करने पर यह ज्ञात हुआ कि मीटर के बी फेस पर वोल्टेज दिनांक 21.10.2015 से ही नहीं मिल रहा था। (ओई–1)

12 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उज्जैन शहर की विद्युत व्यवस्था हेतु फ्रेंचाइजी मेसर्स एस्सेल कंपनी को सौंपी गई थी तथा बाद में जनवरी 2016 से पुनः विद्युत वितरण कंपनी द्वारा व्यवस्था एस्सेल से वापिस ले ली गई। जिसके पश्चात सभी उच्चदाब उपभोक्ताओं की एमई एवं मीटर का परीक्षण का कार्य किया गया जिस दौरान आवेदक के परिसर में लगी एमई त्रुटिग्रस्त होना पाई गई, इस कारण आवेदक को अक्टूबर 2015 से जून 2016 तक की अवधि का त्रुटिग्रस्त एमई द्वारा दर्ज की गई विद्युत खपत जो कि 2 फेस के द्वारा दर्ज की गई थी, में दर्ज विद्युत खपत एवं एमडी का आधा जोड़कर पूरक बिल रूपये 2,38,437/– आवेदक को भुगतान हेतु दिया गया जो नियमानुसार ठीक है।

13 दिनांक 3.7.2017 को सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा प्रस्तुत बिलिंग विवरण से विद्युत लोकपाल सहमत नहीं होने पर उनके द्वारा यह महसूस किया गया कि मीटरी इक्यूपमेंट त्रुटिपूर्ण होने पर एमडी की पूरक बिलिंग करने में कोई त्रुटि हुई है, अतः अनावेदक को अगली सुनवाई के समय निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

14 दिनांक 20.7.2017 को सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा एवं आवेदक द्वारा अपने पक्ष में मीटर रीडिंग विवरण प्रस्तुत किये गये, जिसका मिलान आवेदक द्वारा प्रस्तुत विद्युत खपत एवं एमडी से किया जो एक समान पाये गये तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत बिलिंग का अवलोकन करने से यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा त्रुटिग्रस्त अवधि में एमडी एवं विद्युत खपत का सही आकलन कर पूरक बिल दिया गया। (ओई–2, ओई–3)

15 अनावेदक द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा सिर्फ एफसीए के चार्जेस की गणना में त्रुटि हुई जिसके कारण वे आवेदक को रूपये 11508/– का समायोजन उनके अगले विद्युत देयक में दे देंगे।

16 आवेदक के कथन की विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.22 के अनुसार त्रुटिग्रस्त अवधि में मीटर एवं मीटरी इक्यूपमेंट के प्रभार देय नहीं होंगे, के तारतम्य में विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.22 का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार है –

8.22 उक्त माह के दौरान, जब मापयंत्र/मापयन्त्र उपकरण (Meter/Metering Equipment) शहरी क्षेत्र में 15 दिवस से अधिक अवधि तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिवस से अधिक की अवधि के दौरान त्रुटिपूर्ण अवस्था में रहते हों, तो मापयंत्र/मापयन्त्र उपकरणों के प्रति कोई भी मापयन्त्र प्रभार (metering charges) देय न होंगे।

अतः उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि 15 दिन से अधिक की अवधि में यदि मीटर एवं मीटरी इक्यूपमेंट त्रुटिपूर्ण अवस्था में रहते हैं तब ऐसी स्थिति में प्रभार की वसूली नहीं की जा सकती। इस प्रकरण में मीटरी इक्यूपमेंट 21.10.2015 से 30.6.2016 तक त्रुटिग्रस्त रहे, अतः मीटरी इक्यूबमेंट के प्रभार देय की वसूली अनावेदक द्वारा किया जाना प्रावधान के विपरीत है।

17 अनावेदक द्वारा एमई की त्रुटिग्रस्त अवधि के लिए दिया गया विद्युत खपत एवं एमडी का पूरक बिल नियमानुसार सही है तथा जिसका कि भुगतान आवेदक को किया जाना चाहिए। परन्तु इस अवधि में आवेदक से मापयंत्र उपकरण के लिए लिये गये प्रभार को लिया जाना उचित नहीं है।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ अक्टूबर 2015 से जून 2016 तक की अवधि में त्रुटिग्रस्त मापयंत्र उपकरण के लिए लिये गये प्रभार को निरस्त कर उस राशि का समायोजन आवेदक के आगामी विद्युत देयक में किया जाए।

ब उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

18 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल